(213) (18)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

–: अधिसूचना :–

संख्या–खा0आ0–4 / वित0–सह–निग0–01 / 2012– 1284 /राँची, दिनांक 2-4-2013

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा राज्य की जनता के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही है जिसमें खाद्यान्न वितरण की योजना, आयोडीनयुक्त नमक वितरण योजना एवं किरासन तेल वितरण योजना सम्मिलित हैं। जन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से इस व्यवस्था पर उचित निगरानी रखना आवश्यक है जिसके लिये वितरण–सह–निगरानी समिति का गठन किया जाना है। विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 195 दिनांक 13.02.2008 के द्वारा विभिन्न स्तरों पर वितरण–सह–निगरानी समितियों का गठन किया गया था। सभी स्तर के वितरण–सह–निगरानी समितियों को विभागीय पत्रांक 516 दिनांक 16.3.2010 के द्वारा भंग कर दी गयी है।

विचारोपरांत विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि वितरण–सह–निगरानी समितियों का पुनर्गठन किया जाय। अतः विभिन्न स्तरों पर वितरण–सह–निगरानी समितियों का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

(2) (क) <u>ग्रामीण अथवा शहरी निकाय दोनों क्षेत्रों अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दूकान स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति:–</u>

(i) वार्ड सदस्य – अध्यक्ष
(जन वितरण प्रणाली दूकान के सर्वाधिक कार्डधारियों की संख्या वाले वार्ड के सदस्य)

(ii) जन वितरण प्रणाली दूकान से सम्बद्ध 5 कार्डधारी– सदस्य
(बी0पी0एल0 / अन्त्योदय / ए0पी0एल0)

(iii) एक भूतपूर्व सैनिक अथवा एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी –सदस्य

जन वितरण प्रणाली दूकान स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति के गठन से संबंधित आदेश ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जायगी तथा शहरी क्षेत्रों के लिये शहरी निकाय की अनुशंसा पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जायगी। इस समिति में महिला सदस्यों की संख्या 50 (पचास) प्रतिशत् अवश्य होगी।

(ख) <u>जन वितरण प्रणाली दूकान स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति का अधिकार एवं दायित्व</u> –

(i) जन वितरण प्रणाली दूकान पर खाद्यान्न सामग्री, आयोडीनयुक्त नमक एवं किरासन तेल प्राप्त होने के पश्चात् इसकी सूचना जन वितरण प्रणाली दूकान स्तर पर गठित वितरण–सह–निगरानी समिति को दी जायेगी। समिति के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा दूकान भंडार का सत्यापन सूचना प्राप्ति के दो दिनों के भीतर की जायगी जिसकी प्रविष्टि भंडार पंजी में करना आवश्यक होगा।

(17)

(ii) आवंटन के अनुसार जन वितरण प्रणाली दूकानों द्वारा किये जाने वाले समस्त उठाव एवं वितरण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण समिति के द्वारा की जायगी।

(iii) वितरण–सह–निगरानी समिति जन वितरण प्रणाली दूकानों का निरीक्षण के क्रम में दूकान में संधारित सभी पंजियों/अभिलेखों का अवलोकन कर सकती है, परन्तु पंजियों/अभिलेखों को अपने साथ दूकान से बाहर नहीं ले जा सकती है।

(iv) आवंटन के अनुसार जन वितरण प्रणाली दूकानों द्वारा किये जाने वाले समस्त उठाव एवं वितरण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में यदि अनियमितता पायी जाती है तो समिति द्वारा इसकी सूचना पंचायत/शहरी निकाय स्तर पर गठित वितरण–सह–निगरानी समिति प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी को भेजी जायगी।

(v) समिति की बैठक माह में कम से कम दो बार आवश्यक होगी। यह बैठक जन वितरण प्रणाली दूकान अथवा जिस वार्ड के लाभूक हैं वहाँ होगी।

(3) (क) <u>नगर पंचायत/नगर पर्षद्/नगर निगम स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति:–</u>

(i)	नगर पंचायत/नगर निगम/नगर पार्षद्	–	अध्यक्ष
(ii)	जिला/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
(iii)	नगर पंचायत/नगर निगम/नगर पर्षद् के पांच सदस्य (प्रत्येक वर्ष रोटेशन अनुसार)	–	सदस्य
(iv)	तीन बी०पी०एल०/अन्त्योदय लाभुक	–	सदस्य
(v)	गरीबी निवारण, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा एवं जन वितरण प्रणाली से संबंधित विषयों पर कार्य करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्त्ता	–	सदस्य

(vi) एक भूतपूर्व सैनिक अथवा एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी –सदस्य

नगर पंचायत/नगर पर्षद्/नगर निगम स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति के गठन से संबंधित आदेश उपायुक्त की अनुशंसा पर विभाग द्वारा निर्गत की जायगी। इस समिति में महिला सदस्यों की संख्या 50 (पचास) प्रतिशत् अवश्य होगी।

(ख) <u>नगर पंचायत/नगर पर्षद्/नगर निगम स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति का अधिकार एवं दायित्व</u> –

(i) आवंटन के अनुसार जन वितरण प्रणाली दूकानों द्वारा किये जाने वाले समस्त उठाव एवं वितरण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण समिति के द्वारा की जायगी।

(ii) जन वितरण प्रणाली दूकान स्तर पर गठित वितरण–सह–निगरानी समिति द्वारा प्रेषित अनियमितता पर विचार तथा कार्रवाई करना।

(iii) वितरण–सह–निगरानी समिति जन वितरण प्रणाली दूकानों का निरीक्षण के क्रम में दूकान में संधारित सभी पंजियों/अभिलेखों का अवलोकन कर सकती है, परन्तु पंजियों/अभिलेखों को अपने साथ दूकान से बाहर नहीं ले जा सकती है।

(iv) उठाव एवं वितरण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में यदि अनियमितता पायी जाती है तो समिति द्वारा इसकी सूचना उपायुक्त को दी जायगी।

(v) समिति की बैठक दो माह में कम से कम एक बार आवश्यक होगी।

(4) (क) <u>पंचायत स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति:–</u>

(i)	पंचायत का मुखिया	–	अध्यक्ष
(ii)	पंचायत का सचिव	–	सदस्य सचिव
(iii)	पंचायत के वार्ड के पांच सदस्य (प्रत्येक वर्ष रोटेशन अनुसार)	–	सदस्य
(iv)	पंचायत के तीन बी०पी०एल० / अन्त्योदय लाभूक	–	सदस्य
(v)	गरीबी निवारण, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा एवं जन वितरण प्रणाली से संबंधित विषयों पर कार्य करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्त्ता	–	सदस्य
(vi)	एक भूतपूर्व सैनिक अथवा एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी	–	सदस्य

पंचायत स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति के गठन से संबंधित आदेश पंचायत समिति की अनुशंसा पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जायगी। इस समिति में महिला सदस्यों की संख्या 50 (पचास) प्रतिशत् अवश्य होगी।

(ख) <u>पंचायत स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति का अधिकार एवं दायित्व –</u>

(i) पंचायत अन्तर्गत संचालित सभी जन वितरण प्रणाली दूकानों द्वारा किये जाने वाले समस्त उठाव एवं वितरण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण समिति के द्वारा की जायगी।

(ii) जन वितरण प्रणाली दूकान स्तर पर गठित वितरण–सह–निगरानी समिति से प्राप्त अनियमिताओं पर विचार तथा कार्रवाई करना।

(iii) डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।

(iv) वितरण–सह–निगरानी समिति जन वितरण प्रणाली दूकानों का निरीक्षण के क्रम में दूकान में संधारित सभी पंजियों / अभिलेखों का अवलोकन कर सकती है, परन्तु पंजियों / अभिलेखों को अपने साथ दूकान से बाहर नहीं ले जा सकती है।

(v) अनियमितता पाये जाने पर इसकी सूचना प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी तथा प्रखण्ड स्तरीय निगरानी समिति को दी जायगी।

(vi समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक होगी।

(5) (क) <u>प्रखण्ड स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति:–</u>

(i)	प्रखण्ड का प्रमुख	–	अध्यक्ष
(ii)	आपूर्त्ति निरीक्षक	–	सदस्य सचिव
(iii)	पंचायत समिति के पांच सदस्य (प्रत्येक वर्ष रोटेशन अनुसार)	–	सदस्य
(iv)	तीन बी०पी०एल० / अन्त्योदय कार्डधारी	–	सदस्य
(v)	गरीबी निवारण, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा एवं जन वितरण प्रणाली से संबंधित विषयों पर कार्य करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्त्ता	–	सदस्य
(vi)	एक भूतपूर्व सैनिक अथवा एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी	–	सदस्य

प्रखण्ड स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति के गठन से संबंधित आदेश जि. परिषद् की अनुशंसा पर उपायुक्त द्वारा निर्गत की जायगी। इस समिति में महिला सदस्यों की संख्या 50 (पचास) प्रतिशत् अवश्य होगी।

(ख) प्रखण्ड स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति का अधिकार एवं दायित्व –

(i) प्रखण्ड अन्तर्गत सभी जन वितरण प्रणाली दूकानों द्वारा किये जाने वाले समस्त उठाव एवं वितरण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण समिति के द्वारा की जायगी। अनियमितता पाये जाने पर समिति द्वारा इसकी सूचना जिला स्तरीय समिति तथा अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजी जायगी।

(ii) डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव एवं संबंधित दूकानों तक खाद्यान्न पहुँचाने के कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण।

(iii) प्रखण्ड स्तरीय समिति, प्रखण्ड के सभी जन वितरण प्रणाली दूकानों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करेगी तथा जिला स्तरीय समिति को जन वितरण प्रणाली दूकानों की कार्य–कलापों एवं समस्याओं से अवगत करायेगी तथा यथा संभव अपने स्तर से समस्याओं का निराकरण भी करेगी।

(iv) वितरण–सह–निगरानी समिति जन वितरण प्रणाली दूकानों का निरीक्षण के क्रम में दूकान में संधारित सभी पंजियों/अभिलेखों का अवलोकन कर सकती है, परन्तु पंजियों/अभिलेखों को अपने साथ दूकान से बाहर नहीं ले जा सकती है।

(v) समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक होगी।

(6) (क) जिला स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समितिः–

(i)	अध्यक्ष, जिला परिषद्	–	अध्यक्ष
(ii)	जिला के उपायुक्त	–	सदस्य
(iii)	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
(iv)	जिला के अनुमण्डल पदाधिकारी	–	सदस्य
(v)	जिला के सभी लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य–		सदस्य
(vi)	गरीबी निवारण, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा एवं जन वितरण प्रणाली से संबंधित विषयों पर कार्य करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्त्ता	–	सदस्य
(vii)	एक उपभोक्ता संरक्षण संस्था का प्रतिनिधि	–	सदस्य
(viii).	3–4 राशन कार्डधारी	–	सदस्य
(ix)	एक भूतपूर्व सैनिक अथवा एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी	–सदस्य	

जिला स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति के गठन से संबंधित आदेश विभाग द्वारा निर्गत की जायगी। इस समिति में महिला सदस्यों की संख्या 50 (पचास) प्रतिशत् अवश्य होगी।

(ख) जिला स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति का अधिकार एवं दायित्वः–

(i) जिला अन्तर्गत किसी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली दूकानों एवं थोक किरासन तेल बिक्रेताओं/ठेला भेंडरों द्वारा किये जाने वाले समस्त उठाव एवं वितरण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण समिति के द्वारा की जायगी।

(ii) आवंटन के अनुसार डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा किये जाने वाले खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री का उठाव एवं वितरण कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में यदि समिति द्वारा अनियमितता पायी जाती है तो समिति द्वारा उपायुक्त को इससे अवगत कराया जायगा।

(iii) जिला स्तरीय समिति सम्पूर्ण जिला के यथा संभव खाद्यान्न वितरण से संबंधित समस्याओं का अनुश्रवण एवं निराकरण का कार्य करेगी तथा जिन समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर संभव नहीं हो सके उन्हें राज्य स्तरीय समिति को अपनी अनुशंसा के साथ अग्रसारित करेगी।

(iv) वितरण–सह–निगरानी समिति जन वितरण प्रणाली दूकानों का निरीक्षण के क्रम में दूकान में संधारित सभी पंजियों/अभिलेखों का अवलोकन कर सकती है, परन्तु पंजियों/अभिलेखों को अपने साथ दूकान से बाहर नहीं ले जा सकती है।

(v) समिति की बैठक दो माह में कम से कम एक बार आवश्यक होगी।

(7) (क) <u>राज्य स्तरीय वितरण–सह–निगरानी समिति:–</u>

(i)	मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/विभागीय सलाहकार (राष्ट्रपति शासन काल में)	–	अध्यक्ष
(ii)	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	–	सदस्य
(iii)	विभागीय संयुक्त सचिव/उप सचिव	–	सदस्य सचिव
(iv)	दो स्थानीय सांसद	–	सदस्य
(v)	चार विधान सभा सदस्य	–	सदस्य
(vi)	श्री बलराम, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनोनीत आयुक्त के राज्य सलाहकार (केस सं0–196/2001)	–	सदस्य
(vi)	तीन सदस्य उपभोक्ता संरक्षण सोसाईटी/ महिला संगठन/यूथ संगठन	–	सदस्य

राज्य स्तरीय वितरण–सह–निगरानी समिति के विधान सभा सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा किया जायगा। सांसदों का मनोनयन विभागीय मंत्री/मुख्यमंत्री (सलाहकार/राज्यपाल) द्वारा किया जायगा।

(ख) <u>राज्य स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समिति का अधिकार एवं दायित्व:–</u>

(i) राज्य स्तरीय समिति द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली (TPDS) के सम्पूर्ण कार्य–कलाप की समीक्षा की जायगी तथा इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों एवं समस्याओं के निराकरण एवं निदान का कार्य करेगी।

(ii) समिति जन वितरण प्रणाली दूकानों, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यालयों में, अनुश्रवण कर सकती है एवं योजना से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों/लाभूकों से सम्पर्क कर व्यवस्था में सुधार से संबंधित अपनी अनुशंसाएँ करेगी।

(iii) यदि लक्षित जन वितरण प्रणाली (TPDS) व्यवस्था में सुधार से संबंधित विषय केन्द्र सरकार से संबंधित है तो राज्य स्तरीय समिति केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजेगी।

(iv) राज्य स्तरीय समिति की बैठक तीन माह में एक बार आवश्यक होगी।

(8) <u>समिति के सदस्यों का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया:–</u>

(i) समिति के सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से तीन वर्ष तक रहेगा। इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार सरकार में सन्निहित होगा। जो सदस्य कार्य करने में अक्षम पाये जायेंगे तो उनको कभी भी हटाने का अधिकार सरकार में निहित होगा।

(ii) यदि प्रस्तावित सदस्यों के संबंध में मनोनयन के पश्चात् किसी संज्ञेय अपराध अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है अथवा किसी पूर्व के मामले की सूचना प्राप्त होती है तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी से संपुष्टि प्राप्त होने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

(iii) समिति का गठन जिस संस्था की अनुशंसा पर की जाती है उनकी अनुशंसा पर सदस्यों को हटाने की कार्रवाई की जा सकेगी।

आदेश दिया जाता है कि इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

31/3/13

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–खा0आ0–4/वित0–सह–निग0–01/2012– 1284 /राँची, दिनांक 2-4-2013

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप निदेशक (खाद्य)/सभी विशिष्ट पदाधिकारी, अनुमाजन/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति), धनबाद/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षकों, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/13

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–खा0आ0–4/वित0–सह–निग0–01/2012– 1284 /राँची, दिनांक 2-4-2013

प्रतिलिपि– महामहिम के सलाहकार, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/13

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।